FORM III
फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

प्रमोद कुमार बनाम कमला देवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 473 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/754

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-08-2024	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री राकेश कुमार एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख0न0 1181/237, 1183/237, 1203/239, 236, 238 कुल किता 05 कुल रकबा 0.9187 हैक्ट0 अवस्थित ग्राम नीमोद पटवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना के विशिष्ट भू– भाग का बेंचान न करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.10.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:27:14 IST
Reason: SelfAttested

4/10/24

पत्रावली पेश हुइे। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 14/11/24 को पेश हों।

14/11/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/12/24 को पेश हो।

6/12/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/1/25 को पेश हो।

15/1/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/2/25 को [illegible]

27/02/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज [illegible] कार्य का स्थगन कर रखा [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/06/25 को पेश हो।

27/6/25

पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 9/9/25 को पेश हों।

09/09/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वादपत्र में प्राथमिक डिक्री पूर्व में जारी की जा चुकी हैं। [illegible] निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार [illegible] किया [illegible]ना हैं। अतः तादौराने फैसल वाद अप्राथीगण वादग्रस्त [illegible] पुराना ख0 नं0 1181/237, 1183/[illegible] कुल किता 05 कुल रकबा 0.9187 है0 तन ग्राम नीमा[illegible]टवार हल्का खादरा तहसील नीमकाथाना के विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.10.06 15:27:14 IS
Reason: SelfAttested